लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 149वीं बैठक दिनांक 31 अगस्त, 2012 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री संजीव मित्तल	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री रजनीश दुबे	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री अजय दीप सिंह	विशेष सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4.	श्री अनुराग यादव	जिलाधिकारी, लखनऊ।
5.	श्री राकेश वर्मा	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6.	श्री के0पी0 मिश्र,	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7.	ई0 राजेन्द्र कुमार	मुख्य अभियंता, जल निगम, लखनऊ।
8.	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9.	श्री राजेश नाथ मिश्र	वास्तुविद एवं नियोजक, प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री कल्याण सिंह यादव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि महानिदेशक, पयर्टन, उ0प्र0 लखनऊ।

अन्य उपस्थिति :

11.	श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी	सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री संजीव सिन्हा	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री एस0सी0 मिश्रा	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री बृजराज सिंह यादव	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री चन्द्रशेखर	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री ए0के0 चौरसिया	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0
18.	श्री जे0एन0 रेड्डी	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नवागन्तुक अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.12.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09.04.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 3 प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 4 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु मे0 शिप्रा इस्टेट लि0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या–5873/आठ–1–05/34/विविध/03/टी0सी0–1 दिनांक 12.01.06 द्वारा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 13.12.2011 पर विचार से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी तथा निर्देशित किया गया कि भविष्य में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव को, परिचालन के उपरान्त होने वाली आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 5

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु मे0 ए0एन0एस0 कान्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 03.12.11 पर शासनादेश दिनांक 12.01.06 द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन एवं संशोधित डी0पी0आर0 को शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 6

श्रीमती राना मंसूर अली को नेहरू इन्क्लेव में आवंटित फ्लैट सं0–आर–185 की आंशिक असत्यापित धनराशि को शपथ पत्र के आधार पर जमा मानते हुए निबन्धन के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 7

प्राधिकरण की एक पुरानी डीजल जीप यू0पी0 32 जे0 6363, 1994 मॉडल को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसके स्थान पर एक नई एम्बेसडर कार क्रय किये जाने से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 8

गोमती नगर योजना में ठोस अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) के ट्रांसफर हेतु लखनऊ–फैजाबाद रेलवे लाइन पर ग्वारी कल्वर्ट के समीप प्रस्तावित ट्रांसफर स्टेशन हेतु लखनऊ महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रस्तावित फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत 'पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी' के भू–उपयोग की भूमि में उपयोगिताएं एवं सेवायें उपयोग को अनुमन्य किये जाने से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 9

गोमती नगर विस्तार भाग–1ए स्थित भूमि पर 'जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क' के नाम से पार्क विकसित किये जाने की परियोजना को क्रियान्वित किये जाने से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 10
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.12.2011 एवं 09.04.2012 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :
प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या : 11
वित्तीय वर्ष 2012–13 के मूल बजट के मदों की धनराशियों में यथावश्यक स्वीकृत बजट के अन्तर्गत संशोधन।

निर्णय :
सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के मूल बजट में प्रस्तुत संशोधनों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 12
लखनऊ महानगर में 'बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (बी.आर.टी.एस.) को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :
प्राधिकरण द्वारा 'बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (बी.आर.टी.एस.) परियोजना की प्रगति से अवगत होते हुए प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

विषय संख्या : 13
गाटा सं0–17 से 21 तथा 43 से 47 मोहल्ला–कर्बला, आगामीर, रामतीरथ मार्ग, नरही, हजरतगंज, लखनऊ की 37700 वर्गफुट भूमि के भू–उपयोग को ''पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी'' से ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :
सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में निहित भूमि के भू–स्वामित्व आदि का जिलाधिकारी, लखनऊ से परीक्षण कराने, मा0 न्यायालय में लम्बित वाद की अद्यतन स्थिति तथा तद्क्रम में विधिक परीक्षणोपरान्त तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 14
सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नयी आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :
सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 16.12.2011 के विषय संख्या–10 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुरूप सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नयी आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल

एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने विषयक शासनादेश संख्या–3338/आठ–1–11–80विविध/2010 दिनांक 26.09.2011 पर पुनर्विचार करने हेतु शासन को प्रकरण संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 15 — गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर–1 में 45 मी0 चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित 'पुलिस स्टेशन' के स्थल को सेक्टर–4 में 45 मी0 एवं 30 मी0 चौडी सड़क के जंक्शन पर ग्राम–जुराखन पुरवा की आबादी के समीप परिवर्तित किये जाने एवं इसके क्षेत्रफल को मानकों के अनुरूप कम किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा पुलिस स्टेशन के स्थल को सेक्टर–4 में 45 मी0 एवं 30 मी0 चौडी सड़क के जंक्शन पर ग्राम–जुराखन पुरवा की आबादी के समीप परिवर्तित किये जाने व इसके क्षेत्रफल को मानकों के अनुरूप 4000 वर्ग मी0 किये जाने तथा सेक्टर–1 में पुलिस स्टेशन हेतु आरक्षित 1.1 हेक्टेयर भूमि के भू–उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रस्तावानुसार गोमती नगर विस्तार के सेक्टर–1 व सेक्टर–4 के तलपट मानचित्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 16 — सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर–बी में स्थित "फैसिलिटीज एवं बिल्डिंग सेन्टर" हेतु आरक्षित कुल 8080.00 वर्गमी0 भूमि के भू–उपयोग को "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी योजना में विभिन्न सुविधाओं हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता के सापेक्ष प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के औचित्य का विस्तृत परीक्षण करते हुए तथ्यपरक प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 17 — निरालानगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड सं0–डी–110 के भू–उपयोग को "आवासीय" से "कार्यालय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा पूर्व में शासन को संदर्भित मिश्रित भू–उपयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव में शासन द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के आलोक में प्रकरण का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 18

नर्सिंग होम के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0–4769/8–3–11–240रिट/1, दिनांक 21.11.2011 तथा सपठित शासनादेश सं0–5893/8–3–12–5–240रिट/11 दिनांक 18.01.2012 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासनादेश सं0–4769/8–3–11–240रिट/1, दिनांक 21.11.2011 तथा सपठित शासनादेश सं0–5893/8–3–12–5 –240रिट/11 दिनांक 18.01.2012 को प्रस्तावानुसार आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत करते हुए शासन से तदनुसार स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त लागू करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 19

श्रम विहार योजना के अन्तर्गत आवंटित साइट एण्ड सर्विसेज भूखण्डों के निबन्धन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर प्रस्तावित 35 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग के स्टेशन रोड से चारबाग की तरफ श्रम विहार योजना भाग–2 के अन्तर्गत आने वाले भाग का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर इस भाग में महायोजना मार्ग के निर्माण/विकास की सम्भावनाओं का परीक्षण तथा तदनुसार प्रकरण में की जाने वाली अग्रेतर कार्रवाई हेतु आख्या उपलब्ध कराने के लिए निम्नवत् समिति का गठन किया गया:–

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण – अध्यक्ष
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के प्रतिनिधि – सदस्य
3. नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 – सदस्य
4. अधि0अभि0 जोन–12/13, ल0वि0प्रा0 – सदस्य

उपर्युक्त समिति की संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 20

रश्मि खण्ड, शारदा नगर योजना के अन्तर्गत फैसिलिटी उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 3750 वर्ग मी0 को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा रश्मि खण्ड, शारदा नगर योजना के अन्तर्गत फैसिलिटी उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 3750 वर्ग मी0 को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

विषय संख्या : 21	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 8 तिलक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ के ''आवासीय'' भूखण्ड पर ''कार्यालय'' उपयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के भूखण्ड संख्या–8 तिलक मार्ग, हजरतगंज लखनऊ, क्षेत्रफल 4041.00 वर्ग मी0 ''आवासीय'' भूखण्ड पर लखनऊ महायोजना–2021 के जोनिंग रेग्यूलेशन के अनुसार सशर्त अनुमति श्रेणी के अन्तर्गत प्रभाव शुल्क सहित 'कार्यालय–सह–व्यवसायिक क्रियाओं' को अनुमन्य करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 22	मे0 विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 एवं मे0 एल्डिको प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	मे0 एल्डिको प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–मुबारकपुर व मुतक्कीपुर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना हेतु 12.432 हेक्टेयर तथा मे0 विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 के पक्ष में ग्राम–सेमरा, शाहपुर व सराय शेख में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में प्रस्तावित 64.960 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में जिलाधिकारी को इस प्रकार के भू–अर्जन के प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के उपरान्त ही प्रेषित किये जाय।
विषय संख्या : 23	सीतापुर रोड योजना के निकट ग्राम–मड़ियॉव स्थित भूमि के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सीतापुर रोड योजना के निकट ग्राम–मड़ियाव, परगना, तहसील व जनपद–लखनऊ में प्रस्तावित 134.476 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
विषय संख्या : 24	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–बाघामऊ की सरहद तक बन्धे के निर्माण व सुनियोजित विकास की योजना भाग–3 हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–बाघामऊ की

सरहद तक बन्धे के निर्माण व सुनियोजित विकास की योजना भाग–3 हेतु 10.384 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए परियोजना का वित्त–पोषण शहरी समग्र विकास मद से किये जाने के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 25 गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बन्धे के निर्माण व सुनियोजित विकास की योजना भाग–2 हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दायें तटबन्ध पर अमर शहीद पथ से ग्राम–अरदौनामऊ की सरहद तक बन्धे के निर्माण व सुनियोजित विकास की योजना भाग–2 हेतु 24.374 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए परियोजना का वित्त–पोषण शहरी समग्र विकास मद से किये जाने के सम्बन्ध में शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 26 मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–बाघामऊ में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 27 गोमती नगर आवास योजना के अन्तर्गत अनर्जित भूमि खसरा संख्या–952/3 स्थित ग्राम–उजरियांव की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत अनर्जित भूमि खसरा संख्या–952/3 स्थित ग्राम–उजरियांव की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ से विस्तृत परीक्षण कराते हुए प्राप्त आख्या के आधार पर पुनः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 28

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन प्रकलन का भुगतान अधिनियम की धारा–23 के अन्तर्गत विहित प्रक्रियाओं के अनुसार किये जाने तथा जिस तिथि से भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुआ है, उसी तिथि को परिसम्पत्तियों के कब्जा हस्तान्तरण की तिथि मानते हुए प्रतिकर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग से सत्यापित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन, जिनका अभिनिर्णय अपर जिलाधिकारी भू–अध्याप्ति द्वारा नही किया गया है, का भुगतान अधिनियम की धारा–23 व 34 के अन्तर्गत विहित प्रक्रियाओं के अनुसार किये जाने तथा जिस तिथि में भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुआ है, उसी तिथि को परिसम्पत्तियों के कब्जा हस्तान्तरण की तिथि मानते हुए प्राधिकरण द्वारा परिसम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त प्रतिकर भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 29

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावानुसार भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यो हेतु 01 अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार, 01 अवकाश प्राप्त कानूनगो व 01 अवकाश प्राप्त उप सचिव की सेवायें दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक तथा 01 अवकाश प्राप्त अमीन की सेवायें दिनांक 01.09.2012 से 31.03.2013 तक पूर्व की शर्तो पर संविदा के आधार पर रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 30

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिलें आवास योजनाओं के निर्माण एजेंसियों को मोबलाईजेशन अग्रिम भुगतान हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009 में मोबलाइजेशन एडवांस दिये जाने से सम्बन्धित प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत प्रस्ताव तथा विद्यमान प्रक्रिया को समाविष्ट करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 31	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 16.12.2011 में विषय संख्या–14 पर लिये गये निर्णयानुसार सेक्टर–सीएस, अलीगंज में प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 चार मंजिले भवनों के स्थान पर अफोर्डेबल हाउस के निर्माण हेतु संशोधित प्रस्ताव।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अलीगंज योजना के सेक्टर–सीएस में अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी भूमि पर 04 मंजिलें ई0डब्लू0एस0 भवनों के स्थान पर 04 मंजिले अर्फोडेबल भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 32	देवपुर पारा में प्रस्तावित कबीर नगर योजना के अन्तर्गत अर्फोडेबल दुर्बल आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा देवपुर पारा में विगत बोर्ड बैठक 16.12.2011 में लिए गए आश्रयहीन योजना के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के निर्णय के क्रम में इस कार्रवाई के उपरान्त प्राप्त होने वाली भूमि पर अर्फोडेबल दुर्बल आय वर्ग (जी+3) के 2150 भवन, अर्फोडेबल अल्प आय वर्ग (जी+3) के 350 भवन एवं मध्यम आयवर्ग (स्टिल्ट+12) के 1500 भवन इस प्रकार लगभग कुल 4000 भवनों के निर्माण हेतु कबीर नगर योजना को क्रियान्वित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 33	देवपुर पारा योजना के आवंटियों/अध्यासियों को प्रस्तावित कबीर नगर योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों में समायोजन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण/प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारणीय बिन्दु।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा देवपुर पारा में ध्वस्तीकरण के उपरान्त प्राप्त होने वाली भूमि पर क्रियान्वित की जाने वाली कबीर नगर योजना में देवपुर पारा आश्रयहीन योजना के आवंटियों/अध्यासियों को निम्नवत् समायोजित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. ऐसे आवंटी जिनके द्वारा पूर्व बोर्ड बैठक की दिनांक 16.12.2011 तक प्राधिकरण से अनुबन्ध निष्पादित करा लिया गया था, उन्हें प्रस्तावित कबीर नगर योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवनों की श्रेणी में समायोजित कर लिया जाय। इन प्रकरणों में आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत देय किश्तों की कुल धनराशि के सापेक्ष वर्तमान बैठक की तिथि दिनांक 31.08.2012 तक प्राधिकरण में जमा की गयी

किश्तों की धनराशि के प्रतिशत के अनुरूप ही नये ई0डब्लू0एस0 भवनों के मूल्य में प्रो–राटा बेसिस पर समायोजित करते हुए मात्र अवशेष मूल्य पर नया भवन आवंटित कर दिया जाय। उपर्युक्त सीमा तक गत बैठक में इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को संशोधित किया गया।

2. ऐसे आवंटी जिनके द्वारा दिनांक 16.12.2011 तक भवन मूल्य की आंशिक धनराशि जमा की गयी है, उन्हें 09 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित जमा धनराशि रिफण्ड कर दी जाय तथा इसी के साथ उन्हें कबीर नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ई0डब्लू0एस0 भवनों हेतु पंजीकरण कराने पर वर्तमान विक्रय मूल्य पर भवन आवंटन में प्राथमिकता दी जाय।

विषय संख्या : 34 — बसन्तकुंज (आश्रयहीन) योजना के अन्तर्गत अवैध रूप से अध्यासित 308 व्यक्तियों को वर्तमान दर पर भवन आवंटन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत कब्जे हेतु जिम्मेदार कर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 35 — सहज आवास योजना के अन्तर्गत गोमती नगर विकल्प खण्ड एवं बसन्तकुंज योजना सेक्टर–आई के पंजीकृत आवेदकों की पंजीकरण धनराशि वापस करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के विकल्प खण्ड तथा बसंतकुंज योजना के सेक्टर–आई में सहज आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को भूमि की अनुपलब्धता के कारण फ्लैट उपलब्ध न कराये जाने की दशा में जमा धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से वापस किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 36 — सुलभ आवास योजना के अन्तर्गत भूमि अनुपलब्धता के कारण अनिर्मित फ्लैट्स के पंजीकृत आवंटियों की धनराशि ब्याज सहित वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुलभ आवासीय योजना के पंजीकृत व्यक्तियों/आवंटियों को भूमि

अनुपलब्धता के कारण फ्लैट उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनके द्वारा जमा की गयी धन्राशि को निम्नवत् रिफण्ड किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी:–

1. गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर–8 तथा शारदानगर योजना के ऐसे आवंटियों एवं जानकीपुरम् विस्तार योजना के सेक्टर–5 के जिन आवंटियों द्वारा सेक्टर–जे0 में भवन हेतु सहमति नही दी गयी हैं, को 09 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाय।

2. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें बसंतकुंज योजना व प्रियदर्शनी योजना में सुलभ आवास आवंटित नही हो पाये है, उन्हें 04 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाय।

विषय संख्या : 37

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट संख्या–11805/2010 प्रेम चन्द्र चौधरी बनाम ल0वि0प्रा0 बावत भवन संख्या–2/160, विश्वास खण्ड, गोमती नगर योजना में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10.05.2012 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट संख्या–11805/2010 प्रेम चन्द्र चौधरी बनाम ल0वि0प्रा0 बावत भवन संख्या–2/160, विश्वास खण्ड, गोमती नगर योजना में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10.05.2012 के समादर में प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में ब्याज माफी का बिन्दु निहित है तथा प्राधिकरण द्वारा विगत कई वर्षो से इस प्रकार के किसी भी ब्याज माफी के प्रकरण को स्वीकार नही किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में ब्याज माफी एक दृष्टांत बनेगा तथा भविष्य में अन्य आवंटी भी इस प्रकार ब्याज माफी का अनुरोध करेगें। अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा ब्याज माफी से सम्बन्धित प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

विषय संख्या : 38

नर्सिंग होम हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या–एन.एच.ए. विवेक खण्ड–2 के फ्री–होल्ड के सम्बन्ध में।

निर्णय :

चूंकि आवंटी द्वारा लीज होल्ड विलेख–पत्र निष्पादित होने की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राधिकरण कोष में वर्ष 1995 में फ्री–होल्ड शुल्क जमा कराये जाने की पुष्टि बैंक द्वारा की गयी है, अतः उक्त तथ्य को संज्ञान में लेते हुए सम्यक

विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा आवंटी से लेवी न लेते हुए वर्तमान में फ्री–होल्ड विलेख पत्र निष्पादित किये जाने की से सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 39 गोमती नगर विस्तार योजना में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को जीविकोपार्जन के वैकल्पिक व्यवस्था हेतु व्यावसायिक प्लेटफार्म आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को जीविकोपार्जन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए व्यवसायिक प्लेटफार्म लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 40 मानचित्र स्वीकृत के समय जमा कराये जाने वाले विभिन्न शुल्कों में वृद्धि एवं मैकेनाइज्ड पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित किये जाने हेतु तथा अशमनीय भाग को ध्वस्त करने हेतु शपथ पत्र के साथ जमा कराये जाने वाली प्रतिभूति धनराशि के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 01.08.2012 की संस्तुति को प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा अशमनीय निर्माण को ध्वस्त करने हेतु दिये जाने वाले शपथ पत्र के साथ प्रतिभूति धनराशि के रूप में एफ0डी0आर0 जमा कराने तथा तदनुसार शमन उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने, विभिन्न शुल्कों की दरों कों पुनर्निधारित करने तथा मैकेनाइज्ड पार्किंग को मौके पर सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति के रूप में एफ0डी0आर0 जमा कराने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में विभिन्न शुल्कों को कास्ट इंडेक्स के आधार पर प्रतिवर्ष पुनर्निधारित किया जाय।

विषय संख्या : 41 कार/मोटर साइकिल/स्कूटर हेतु प्रयोग होने वाले पेट्रोल के अनुसार वाहन भत्ता तथा साइकिल भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तावानुसार स्कूटर/मोटर–साइकिल भत्ता रू0 500/– के स्थान पर रू 700/– प्रतिमाह तथा साइकिल भत्ता रू0 100/– के स्थान पर रू0 300/– रूपये प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 42	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 17–18 मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के वर्कचार्ज/दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों की मृत्योपरान्त संविदा पर कार्यरत समूह 'ग' के मृतक आश्रितों को रूपये रू0 157/– प्रतिदिन की दर से रू0 4710/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 188/– प्रतिदिन की दर से रू0 5640/– प्रतिमाह एवं समूह 'घ' के मृतक आश्रितों को रूपये रू0 132/– प्रतिदिन की दर से रू0 3960/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 158/– प्रतिदिन की दर से रू0 4740/– प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
विषय संख्या : 43	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की तथा उनके पारिवारिक सदस्यों की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ववत् व्यवस्था (चिकित्सक के परामर्श उपरान्त प्राधिकरण में नियुक्त चिकित्सक के सत्यापन के उपरान्त सीधे भुगतान) अथवा रूपये–5000/– तक के स्थान पर रूपये–10,000/– विभागीय चिकित्सक के सत्यापन उपरान्त भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अधिकारियों/कर्मचारियों को रू0 10,000/– तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, विभागीय चिकित्सक के सत्यापन के पश्चात माह में अधिकतम एक बार तथा माह में एक बार से अधिक चिकित्सा व्यय प्रस्तुत करने पर इसकी प्रतिपूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणीकरण के उपरान्त सक्षम स्तर से करने का निर्णय लिया गया।
विषय संख्या : 44	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी/लेखा लिपिक (प्रतिनियुक्ति) की लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी के पद पर संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी/लेखा लिपिक, जो कि मूल रूप से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारी है तथा वर्तमान में प्राधिकरण में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी के पद पर

प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात है, को ग्रहीता संस्था के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी के पद पर संविलियन किये जाने पर स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन की सहमति/अनुमोदन हेतु तदनुसार प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 01

गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर–4 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–4/8 एवं 4/9 पर मन्दिर एवम् मरघट हेतु बाउंड्रीवाल बनाकर भूमि सुरक्षित करने एवं अवशेष भाग पर सुलभ आवास के भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर–4 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–4/8 एवं 4/9 पर मन्दिर/मरघट हेतु 3157.05 वर्ग मी0 भूमि को बाउंड्रीवाल बनाकर सुरक्षित करने, शारदा अपार्टमेन्ट के पीछे 18 मी0 मार्ग पर स्थित मन्दिर को स्थानान्तरित करने तथा प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में प्रस्तावित 32 आश्रय–1 भवनों के आवंटियों को सेक्टर–6 में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 02

तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या – सी0एम0 – 400/9–आ–3–04–178 एल0ए0 दिनांक 02.11.2004 को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासन को विषयगत शासनादेश में उल्लिखित लालडोरा आदि विषयक बिन्दुओं पर तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 03

गोमती नगर विपिन खण्ड में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 22931.748 वर्ग मी0 भूमि के भू–उपयोग को 'पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1)' से 'सामुदायिक सुविधायें (संस्थागत)' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए प्रथम, 'जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र' की स्थापना हेतु 22931.748 वर्ग मी0 भूमि के भू–उपयोग

को 'पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी–1)' से 'सामुदायिक सुविधायें (संस्थागत)' में परिवर्तित करने तथा द्वितीय, मूल परियोजना में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु लोहिया पार्क की सम्मिलित 16989.292 वर्ग मी0 भूमि, जिस हेतु शासन की अधिसूचना सं–496/8–3–07–7एल0यू0सी0 /2007 दिनांक 07.02.07 के माध्यम से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जा चुके है, में से केवल 4525.544 वर्ग मी0 भूमि हेतु ही भू–उपयोग परिवर्तन की अन्तिम अधिसूचना जारी कराने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 04 गोमती नगर विस्तार भाग–1ए में प्रस्तावित 'जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क' परियोजना का अभिकल्प एवं डी0पी0आर0 स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, नयी दिल्ली से कराये जाने का प्रस्ताव।

निर्णय : 'जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क' परियोजना विषयक प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

अनु0वि0सं0 : 05 अमन अपार्टमेन्ट्स, ऐशबाग, लखनऊ से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मौजा भदेवा, ऐशबाग, लखनऊ स्थित नजूल भूमि खसरा संख्या–230 से 234, 236 व 237 की 15121.81 वर्ग मी0 भूमि पर ऐशबाग टावर्स बहुमंजिली आवासीय योजना के स्थान पर ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0–I, एल0आई0जी0–II, 2–बीएचके एवं 2–बीएचके + स्टडी भवनों से सम्बन्धित अमन अपार्टमेन्ट्स योजना को क्रियान्वित किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अनु0वि0सं0 : 06 हाईटेक टाउनशिप 'सुशान्त गोल्फ सिटी' के मदर सिटी के अन्तर्गत अमर शहीद पथ पर प्रस्तावित औद्योगिक भूखण्ड–1 के पार्ट ले–आउट प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मे0 अंसल प्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप 'सुशान्त गोल्फ सिटी' के मदर सिटी के अन्तर्गत अमर शहीद पथ पर प्रस्तावित औद्योगिक भूखण्ड–1 के पार्ट ले–आउट को तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 29.02.2012 के क्रम में 'औद्योगिक' से 'व्यवसायिक' परिवर्तित करने तथा शासन

स्तर पर विचाराधीन भू–उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई पूर्ण होने पर ही विन्यास मानचित्र निर्गमन के प्रतिबन्ध के साथ प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनु0वि0सं0 : 07 — मे0 एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा ग्राम–सरसवां, अरदौनामऊ व अहमामऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मे0 एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 द्वारा ग्राम–सरसवां, अरदौनामऊ व अहमामऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु 13.824 हेक्टेयर भूमि को अधिगृहीत किये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

अनु0वि0सं0 : 08 — आई0आई0एम0 के निकट लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित 45 मी0 चौड़े मार्ग के संरेखण को संशोधित कर एच0टी0 लाईन के साथ एवं 30 मी0 चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त विचारार्थ बोर्ड में पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 09 — ग्राम–मुतक्कीपुर व अल्लूनगर डिगुरिया, जिला–लखनऊ की भूमि को 'नगर केन्द्र (व्यवसायिक)' भू–उपयोग से 'आवासीय' भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन के औचित्य का विस्तृत परीक्षण कराते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 10 — बेनेट कालमेन एण्ड कम्पनी लि0 (टाइम्स ऑफ इण्डिया) के भवन की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा फैजाबाद मार्ग पर ग्राम–उत्त्तरधौना, तहसील परगना व जिला–लखनऊ के खसरा संख्या–407 की 07 बीघा 07 बिस्वा भूमि के

भू–उपयोग को 'बस टर्मिनल' से 'औद्योगिक/प्रिन्टिंग प्रेस' में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0वि0सं0 : 11 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री जगदेव प्रसाद, चौकीदार की चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 79,154.00 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : श्री जगदेव प्रसाद, चौकीदार द्वारा चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 79,154.00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव

(डा0 रजनीश दुबे)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(संजीव मित्तल)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।